चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). दिनाँक-11.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(iii). प्रचलित अभियानो के सम्वन्ध मे चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

(VI) भारी संख्या मे लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्य़वाही करने हेतु निर्देश।

(VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(IX). 07 वर्षों से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

(x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।

(xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xiii). थाना स्थानीय पर लंम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्वन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xvii)क्राइम अगेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा , क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा एवं समस्त थाना,चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मलखान वर्मा पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम पथरामानी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी

2.आरक्षी सचिन कुमार

3.का0 दीपक सिंह

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृज बिहारी , प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 11.12.025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2019 धारा 363 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त रामधनी पुत्र सुन्दर केवट निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 11.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2012 धारा 452,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.गिरीश उर्फ रामानुज पाण्डेय पुत्र 2.चुनावद उर्फ अरुण पुत्रगण महाबली 3.पवन पुत्र चुनवाद उर्फ भोला कुमार पाण्डेय 4.उमेश कुमार उर्फ राजू पुत्र गिरीश उर्फ रामानुज पाण्डेय निवासीगण ग्राम व्यास बन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 22000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफ0टी0सी0 श्रीमती इला चौधरी द्वारा आज दिनांक 11.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0स0 284/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त भुन्डीलाला पुत्र वासुदेव निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3666/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 11.12.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2002धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राममिलन पुत्र विरजा निवासी सिंहपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). आज दिनाँक 11.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में कानून व्यवस्था एवं शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।